अधिसंख्य किसान तो खड़ी फसल बेचने को ही मजबूर हैं

रंजन कुमार सिंह

कृषि कानूनों को लेकर माहौल गरम है। लंबे समय से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और दिल्ली उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोई विधिवेत्ता तो हूं नहीं कि इस विवादास्पद अधिनियम के वैधानिक पहलुओं पर अपनी कोई राय दे सकूं, पर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां जो मुझे सूझ पड़ती हैं, उन्हें जरूर साझा करना चाहता हूं।

साल तो मुझे नहीं याद, पर दशक पुरानी बात जरूर होगी। मैं अपने खेत में धान की कटनी की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे ही गाँव के बाबू बिचको सिंह आते हुए दीख पड़े। हाल-चाल के साथ मैंने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हैं। पहले कुछ ना-नुकुर करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वे देव बाजार से आ रहे हैं और अपने धान का सौदा कर के लोटे हैं। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यह सौदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम में तय कर दिया था क्योंकि व्यापारी इससे अधिक देने को तैयार ही नहीं था, जबकि पैसों की जरूरत उन्हें तत्काल थी। यह जानकर मैंने उनका धान खुद खरीदने की पेशकश की। पहले तो वे घबराये कि जाने मैं उसकी क्या कीमत लगाऊंगा और फिर पूरे पैसे भी तत्काल दूंगा या नहीं। पर जब मैंने विश्वास दिलाया कि मैं उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही लूंगा और वह भी नगद पैसे देकर तो कुछ सकुचाते हुए उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए और मुझे अपने खेत से ही धान उठाने के लिए अधिकृत कर दिया।

आज जब सरकार कह रही है कि उसके द्वारा पारित किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 अनुमति देता है कि उपज का राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यापार निम्नलिखित के बाहर भी किया जा सकता है- (i) राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत गठित मार्केट कमिटी द्वारा संचालित मार्केट यार्ड्स के भौतिक परिसर, और (ii) राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार, जैसे निजी मार्केट यार्ड्स और मार्केट सब यार्ड्स, प्रत्यक्ष मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर्स और निजी किसान उपभोक्ता मार्केट यार्ड्स। उपज के उत्पादन, उसे जमा और एकत्र करने वाली किसी भी जगह पर व्यापार किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- (i) फार्म गेट्स, (ii) कारखाने के परिसर, (iii) वेयरहाउस, (i1) सिलो, और (1) कोल्ड स्टोरेज।

तो मैं चिन्ता में पड़ गया हूं कि जब मैंने बाबू बिचको सिंह से उनका धान खरीदा था, तब क्या मुझे कानूनन ऐसा करने की अनुमति नहीं थी? और मैं ही क्यों, देव बाजार के उस व्यापारी को भी सीधे किसी किसान के खेत से धान खरीदने की अनुमति नहीं थी क्या? या फिर तब कोई ऐसा कानून था जो बाबू बिचको सिंह को ही अपने खेत से अपना धान बेचने से रोकता था। जिस भी किसान को आयकर लाभ नहीं चाहिए, वह अपनी उपज राज्यों के बीच और राज्य के भीतर कहीं भी बेचने के लिए तब भी उतना ही स्वतंत्र था, जितना कि इस कानून के बन जाने के बाद आज है। हां, तब भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, और इस नए कानून से भी उसे इसकी गारंटी नहीं मिली है। यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि देश में छोटे एवं सीमांत किसान 82 फीसदी हैं जिनकी कुल आय इतनी नहीं कि उन्हें आयकर की छूट की जरूरत भी हो। मतलब यह कि देश के बहुसंख्य किसान को इस कानून से कोई लाभ नहीं होने जा रहा।

जो लोग खेती-किसानी को समझते हैं और किसान की दुर्दशा से परिचित हैं, वे जानते हैं कि अमूमन किसान अपनी खड़ी फसल को ही बेच देने के लिए बाध्य रहता है। उसके ऊपर इतनी देनदारियां होती हैं कि अपनी महीनों की मेहनत के नतीजे को वह औने-पौने दामों में निकालकर अपने को उऋण करने की चिन्ता में होता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उधार के भुगतान के तौर पर महाजन ही उसकी फसल कटवा डालता है और उसके हाथों में कुछ नहीं आता।

सरकार बिलकुल सही कह रही है कि कृषि संबंधी तीनों ही अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की गई। यही तो दिक्कत है कि नहीं की गई, जबकि की जानी चाहिए थी। इससे पहले अलिखित परिपाटी के तहत वह अपनी उपज राज्यों के बीच और राज्य के भीतर बेचने के लिए स्वतंत्र था पर जब इसे लिखित रूप दे दिया गया है तो जरूरी है कि इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी लिखित हो।

ऊंची कीमत की आशा में वह अपनी उपज लेकर कहीं दूसरे राज्य में चला भी जाए तो इस विधेयक में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो उसे छले जाने से बचा सकेगा। सरकार के अनुसार, व्यापार संबंधी विवाद का कोई भी पक्ष सुलह के माध्यम से राहत के लिए सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। मेजिस्ट्रेट एक कंसीलिएशन बोर्ड नियुक्त करेगा और उस विवाद को बोर्ड को सौंप देगा। अगर विवाद 30 दिनों बाद भी नहीं सुलझता तो सभी पक्ष विवाद को निपटाने के लिए मेजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। पक्षों के पास यह अधिकार है कि वे मेजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपीलीय अथॉरिटी (कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित एडीशनल कलेक्टर) में अपील कर सकते हैं।

अव्वल तो इसमें यही स्पष्ट नहीं है कि किस जिले के एसडीएम के पास विक्षुब्ध किसान जा सकेगा। क्या वह उस जिले के एसडीएम के पास जाएगा, जहां का वह निवासी है या उस जिले के एसडीएम के पास, जहां कि उसने सौदा किया है। कहीं जो उसे उस राज्य या जिले के एसडीएम से मिलना पड़ा जहां कि उसने सौदा किया है तो क्या आपको लगता है कि जिस किसान को अपने जिले के एसडीएम या डीएम से मिलने के लिए घंटों उसके कमरे के सामने खड़ा रहना पड़ता है और उसके सामने पड़कर भी वह सीधा खड़े होकर अपनी बात नहीं कह पाता, वह विवाद की स्थिति में किसी दूसरे राज्य तो क्या, किसी दूसरे जिले के एसडीएम या डीएम से मिलकर अपनी बात कह सकेगा?

जहां तक मैं समझ पाया हूं, एसडीएम को यह तक बताने की जरूरत नहीं समझी गई है कि उसके फैसले का आधार क्या है। ऐसे में अपीलीय अथॉरिटी के पास जाने की नौबत आई तो वह क्या समझ कर उस अपील पर विचार करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई फिर से करनी पड़ सकती है, जिसमें दोनों पक्षों का समय तो खराब होगा ही, लोक सेवक का भी कीमती समय जाया होगा।

एमसीएफ कमिश्नर को गुड़गाँव भेजा....

जाते-जाते किनकी फ़ाइलें निपटा गए निगम कमिश्नर

पर्चियां भेजकर ठेकेदारों का भुगतान कराया गया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: खुद को ईमानदार मुख्यमंत्री कहलवाना पसंद करने वाले मनोहर लाल खट्टर भ्रष्ट छवि वाले अफ़सरों को इनाम देने में आगे है। नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के कमिश्नर यश गर्ग को बुधवार को गुड़गाँव का डीसी (ज़िला उपायुक्त) तैनात कर दिया गया। फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव को एमसीएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश के तमाम आईएएस जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, उनकी अनदेखी करके ऐसे शख्स को गुड़गाँव जैसे महत्वपूर्ण ज़िले का डीसी लगाया गया, जिसकी छवि कुछ न करने वाले और बेईमान ठेकेदारों के बिल पास करने वाले अफ़सर की रही।

सारा दिन क्यों जमे रहे यश गर्ग

कमिश्नर यश गर्ग को मंगलवार रात को ही अपना तबादला होने की सूचना मिल गई थी। लेकिन उनका औपचारिक

तबादला आदेश बुधवार सुबह आया। गर्ग भी सुबह दफ़्तर आ पहुँचे और एक-एक कर अपनी मनपसंद फ़ाइलें मँगवा लीं। इनमें तमाम चहेते ठेकेदारों की फ़ाइलें थीं। कई ठेकेदार निगम कमिश्नर से मिलने जा पहुँचे। यश गर्ग ने उनको बातों ही बातों में गुड़गाँव आने का न्यौता दे दिया। यह नहीं पता कि यह न्यौता गुड़गाँव में ठेके लेने के लिए था या उनसे मिलने के लिए था।

आमतौर पर किसी भी ज़िले का डीसी बनना बहुत गौरव और सम्मान की बात मानी जाती है। गुड़गाँव में डीसी की नियुक्ति मुख्यमंत्री तय करते हैं। जिस अफ़सर को डीसी लगाया जाता है, वह उसी दिन उस जिले में पहुँच जाता है लेकिन यहाँ तो यश गर्ग अंतिम दिन फ़ाइलों में रूचि लेते रहे।

बता दें कि यश गर्ग के कार्यकाल में एमसीएफ घोटालों के लिए मीडिया में ख़ासा बदनाम हुआ। बल्लभगढ़ में एक ही काम का भुगतान दो ठेकेदारों को कर दिया गया। इस मामले की जाँच के नाम पर यश गर्ग ने ख़ानापूर्ति की और कई बार जाँच अधिकारी बदला। अभी तक जाँच जारी है और एमसीएफ ठेकेदार से पैसे तक वसूल नहीं सका है। ठेकेदार अपनी फ़र्म का नाम बदलकर फिर से ठेके उठा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि एमसीएफ के एकाउंट्स विभाग को बुधवार को पर्ची भेजकर कुछ फ़ाइलों पर पैसों का भुगतान कराया गया। कुछ में ऐसी व्यवस्था की गई कि यहाँ से जाने के बाद उन ठेकेदारों का भुगतान न रूकने पाए। ज़्यादा भुगतान की वजह से बुधवार को एमसीएफ कंगाली की हालत में पहुँच गया। एकाउंट्स विभाग के अफ़सरों को फ़ोन पर कहते सुना गया - ख़ज़ाना ख़ाली है। कहाँ से लाएँ पैसे। अपनी जेब से दें क्या? साहब की पर्ची ही रूकने का नाम नहीं ले रही है।

यह पर्ची किस साहब की थी, इसे सहज ही समझा जा सकता है।

कमिश्नर यश गर्ग ने नीलम पुल के नीचे आग लगने के बाद उसकी मरम्मत का फ़ैसला डेढ़ महीने बाद लिया। नीलम पुल फरीदाबाद की लाइफ़लाइन है लेकिन इतने महत्वपूर्ण पुल की रिपेयर का फ़ैसला जानबूझकर लटकाया गया। नीलम पुल का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मात्र 35 लाख रूपये में कराया जाना था लेकिन इस शख़्स ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उस काम को सीधे नहीं कराया।

जनता आज भी भयंकर जाम का सामना सुबह-शाम करती है। हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक की मुख्य सड़क पर जान तक चली गई लेकिन यह शख़्स सिर्फ रिपेयर से काम चलाता रहा।

यशपाल यादव से उम्मीदें बढ़ी

फरीदाबाद के मौजूदा डीसी को एमसीएफ की भी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हो सकता है कल को सरकार किसी की नियुक्ति करे लेकिन लोगों ने एमसीएफ को लेकर यशपाल यादव से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें पाल ली हैं। लोगों को लग रहा है कि यशपाल यादव किसी जादू की छड़ी से एमसीएफ का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शहर के हालात में सुधार आएगा। हालाँकि एमसीएफ की अभी जो हालत है, उसे यशपाल यादव कैसे सँभालेंगे, वह एक चुनौती ज़रूर है।

शहर को समझने वाला अफ़सर चाहिए

फरीदाबाद की यह बदनसीबी है कि इस शहर को समझने या दिल से लगाने वाले अफ़सर की नियुक्ति नहीं हो रही है। हर अफ़सर एमसीएफ को दुहने के लिए आ जाता है। उसकी दिलचस्पी शहर में रत्तीभर भी नहीं होती। जब तक शहरी विकास को प्राथमिकता देने वाला अफ़सर नहीं आएगा, तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व फरीदाबाद से मिलता है लेकिन उसने इन्फ़्रास्ट्रक्चर के नाम पर ब्यूरोक्रेसी को खाने-कमाने के लिए छोड़ दिया है।

डीएल: एसडीएम बल्लभगढ़...

पेज एक का शेष

एस.डी.एम. कार्यालय के बाबू के पास पहुंचा। उसने फाइल को फारवर्ड करते हुए 1280 रु की पर्ची कटवाने के लिए बाहर बैठे साइबर कैफ़े वाले के पास भेज दिया, जिसने 1280 रु की सरकारी फीस के साथ 100 रु बतौर अपनी फीस काट लिए। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए उसी बाबू ने अगले दिन 3 बजे का समय बल्लबगढ़ दशहरा मैदान में पंहुचने का दिया। निश्चित समय पर पहुंच कर टेस्ट दे दिया और लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके कुछ दिन बाद मुझे लाइसेंस प्राप्त हो गया।

दलाल चार हज़ार रूपये लेता है

सारी प्रक्रिया के दौरान इस संवाददाता ने पाया कि कहीं पर भी दलालों का प्रवेश नहीं था। कुछ लोग अवश्य दलाली करने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन बाबुओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनकी फाइल पकड़ सकें। जानकारों ने बताया कि दलालों के मार्फत 4000 रु अतिरिक्त बतौर दलाली खर्च करने पर उस सारी दौड़-धूप एवं चक्करबाजी से बचा जा सकता था, जिससे यह संवाददाता खुद गुजरा और घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता था।

गौरतलब है कि कहने को तो काम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह सब ऑनलाइन का ड्रामा है, क्योंकि यह संवाददाता हर टेबल तक अपनी कागजी फाइल को उठाए-उठाए घूमता रहा और ऑनलाइन के नाम पर जगह-जगह अपनी जेब कटवाता रहा।

आशा करते है कि जब कभी अपराजिता का अधिकार क्षेत्र बढ़े, वे इस मामले में दिखाई गई फजीहत व बेजा लूट को रोकने में समर्थ हो सकें।